

फैक्ट सीट

1- परियोजना का नाम :- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में भल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर सिल्याणनिराकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 2.125 हेठो वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (4.025 किमी)

2-प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(हेठो में) - 2.125 हेठो

आरक्षित वन भूमि	-	1.400 हेठो
सिविल एवं सोयम वन भूमि	-	0.350 हेठो
डम्पिंग हेठो भूमि	-	0.375 हेठो
निजी भूमि	-	1.0575 हेठो
योग	-	2.125 हेठो

3-प्रस्ताव विभाग का नाम— प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
उत्तरकाशी।

4-वन प्रभाग का नाम— उत्तरकाशी वन प्रभाग।

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है— हौं / नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है— हौं / नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भग-1,2, व 3, के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है— हौं / नहीं

8-क्या प्रारूप में वॉचित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है— हौं / नहीं

9-प्रभावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है— हौं / नहीं

10-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या/प्रमाण-पत्र संलग्न है— हौं / नहीं

11-बांज प्रजातियों के वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है— हौं / नहीं

12-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है— मार्ग के समरेखण में पड़ने वाले वृक्षों का ही पातन किया जायेगा अन्य वृक्षों को प्रभावित/क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काट जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है— हौं / नहीं

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है— हौं / नहीं

15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय रथल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है— हौं / नहीं

- 16—क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है— हॉ / नहीं
- 17—प्रस्तावित माग्र के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है— हॉ / नहीं
- 18—क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है— हॉ / नहीं
- 19—प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है—
यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण—पत्र संलग्न है— हॉ / नहीं
हॉ / नहीं
- 20—क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है— हॉ / नहीं
- 21—प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है—
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हॉ / नहीं
- 22—क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—अलग रंगों से भरा गया है— हॉ / नहीं
- 23—यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है— हॉ / नहीं
- 24—क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है— हॉ / नहीं
- 25—यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हॉ / नहीं
- 26—सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं— हॉ / नहीं
- 27—वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण—समरेखण में आने वाले मोटर मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निरस्त किया गया है।
- 28—लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है—
(5 हेतु से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हॉ / नहीं
- 29—मानचित्र व वार चार्ट में एकरूपता है— हॉ / नहीं
- 30—मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है—
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र संलग्न है— हॉ / नहीं
- 31—राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न है— हॉ / नहीं
- 32—क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण—पत्रों की फोटो प्रतियों मूल में संलग्न है

यदि छाया प्रतियों संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं-

हैं / नहीं

33—यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण—पत्र संलग्न है— हैं / नहीं

34—वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है— हैं / नहीं

35—क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण—पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है— हैं / नहीं

36—क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण—पत्र संलग्न है— हैं / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक शीट लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण—पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

अधिशासी आभयन्ता

प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,

भटकाड़ी, उत्तरकाशी।

उपवन संरक्षक

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।